

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ : दिनांक : 01 मई, 2018

विषय:- सौर ऊर्जा नीति-2017 के अन्तर्गत बिड प्रबन्धन सेवार्य प्रदत्त करने हेतु नियुक्त किये गये परामर्शदाता को देय परामर्शी शुल्क का भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-196/यूपीनेडा-एसई-बिड प्रोसेस-10/303/2017, दिनांक 11 अप्रैल, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सौर ऊर्जा नीति-2017 के अन्तर्गत लक्षित 1000 मेगावाट क्षमता की प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग कराये जाने संबंधी बिड प्रक्रिया सेवार्य प्रदत्त करने हेतु परामर्शदाता मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0 लि0 लखनऊ को परामर्शदाता के रूप में 8,98,000 + रु0 1,61,640/- (18 प्रतिशत जीएसटी सहित) कुल धनराशि रु0 10,59,640/- (रु0 दस लाख उन्सठ हजार छः सौ चालीस मात्र) का भुगतान परामर्शदाता को किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में ऊर्जा विकास अभिकरण, उ0प्र0 को अनुदान संख्या -70 के राज्य योजना के अन्तर्गत नान कन्वेंशनल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों को क्रियान्वयन हेतु व्यवस्थित धनराशि में से किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- 1- स्वीकृत धनराशि नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए व्यय की जायेगी।
- 2- उक्त स्वीकृत धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी जिसके लिए स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी मद में नहीं किया जायेगा। योजना पर किया जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि स्वीकृत तक ही सीमित रखा जायेगा।
- 3- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिए पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत /स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य योजना में सम्मिलित है।
- 4- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 5- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से एवं विलम्बतम 31 मार्च, 2018 तक कर लिया जाय। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष में आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यता कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2018 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
- 6- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।
- 7- उक्त स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा समय-समय पर जारी समस्त संगत शासनादेशों द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 8- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अधीन के लेखा शीर्षक-''2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-02-सौर-101-सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम-03- विज्ञान एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत-0301-नान कन्वेंशनल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन-27 सब्सिडी'' के नामे डाला जायेगा।
- 9- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/ बी-1-375/ दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में निर्गत निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक: तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
- (3) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
- (4) राज्य योजना आयोग-1
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ. प्र., इलाहाबाद।
- (6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव।